रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No. 256] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच।

फा. सं. 6/29/2017-डीजीएडी.— यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, जबकि मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता अथवा घरेलू उद्योग के रूप में भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार रूस (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु अथवा विचाराधीन उत्पाद के रूप में भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दाखिल की है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक जांच आरंभ करने का अनुरोध किया है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटन रोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के

आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19 दिसंबर, 2017 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

क. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :-

i. नियम 5 के उप नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग से आवेदन प्राप्त होने के संबंध में सूचित किया।

ii. नई दिल्ली स्थिति संबद्ध देश के दूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच आरंभ करने के बारे में भी सूचित किया गया था।

iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को तथा घरेलू उद्योग को जांच प्रारंभ करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी। इस जांच के पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने और अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रतियां संबद्ध देश के दूतावास को ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की एक सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श दें।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका के अगोपनीय भाग की एक प्रति नियमावली के उक्त नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी।

v. संगत सूचना प्रकट करने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

   क. मैसर्स यू सी सी उराल केम

vi. संबद्ध देश के मूल की अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों, निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है :-

   क. मैसर्स ट्राइगोन गल्फ एफ जैड सी ओ

   ख. मैसर्स कोसमोस वी यू लिमिटेड

   ग. मै. एस आई ए उरालकेम ट्रेडिंग

   घ. मै. उरालकेम ट्रेडिंग हाउस, एल एल सी

   ङ. मै. जे एस सी यूनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकेम, रूस

vii. उपरोक्त उत्तरों के अलावा, रशियन फेडरेशन के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, रशियन फेडरेशन की टिप्पणियों के रूप में अपने अनुरोध दाखिल किए गए हैं।

viii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार निर्धारित फार्मेट में आवश्यक सूचना प्रदान करने की मांग की गई थी :

   क. मै. अहमदाबाद केमिकल्स

   ख. मै. एशियाटिक इंडस्ट्रीज

   ग. मै. एरीज डाइकैम इंडस

   घ. मै. बकुल एरोमेटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड

   ङ. मै. बी.आई. मेहता

   च. मै. कैफिल प्रा. लि.

   छ. मै. डाइन टेक्स डाईकैम लिमिटेड

   ज. मै. डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

   झ. मै. एन्जेल कैम (आई) प्रा. लि.

   ञ. मैं. फार्मसन फार्मास्यूटिकल्स

   ट. मै. इंडोकैम लिमिटेड

ठ. मै. आइसलैंड वीरकेमी
ड. मै. जानसंस लिमिटेड
ढ. मै. केतुल कैम प्रा. लिमिटेड
ण. मै. मैट्रोकैम इंडस्ट्रीज
त. मै. मनीष कैमिकल्स
थ. मै. पारसीन कैमिकल्स लिमिटेड
द. मै. प्रबावा एक्सपोर्ट्स
ध. मै. रवि डाइवियर कं. लिमिटेड
न. मै. रोहा डाइकैम
ऩ. मै. सवकाशी डाई – ओ- फैब
प. मै. एस यू- वी कैमिकल्स लिमिटेड
फ. मै. सूवेन फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड

ix. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक/ उपभोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। तथापि, एक अयातक मै. संदीप आर्गेनिक्स लिमिटेड ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए की गई याचिका का विरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है।

x. विगत तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने असंगत उत्पादों से संबंधित आंकड़ों को निकालने के बाद संबद्ध वस्तुओं के आयात के सौदा वार आंकड़ों की विधिवत जांच करने के बाद आयातों की मात्रा की गणना के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xi. प्राधिकरी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया है।

xii. सामान्यत: सहमत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उनको बनाने तथा बिक्री करने की अनुकूलतम लागत निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- ।।। के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया गया है।

xiii. प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को एक मौखिक सुनवाई की गई जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हें अपने मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रुप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकरों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था।

xiv. घरेलू उद्योग तथा सहयोगी निर्यातकों द्वारा आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों की स्थल पर ही पुष्टि की गई है।

xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा इस जांच के दौरान, जहां कहीं संगत पाया गया, इस अधिसूचना में शामिल किया गया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के पर्याप्त अगोपीय अंश को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

xvii. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार ने उसे उपलब्ध कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की गई है अथवा इस जांच में काफी बाधा डाली गई है, तो प्राधिकारी द्वारा ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अधिसूचना में आपत्तियों को दर्ज किया गया है।

xviii. इस अधिसूचना में *** चिह्न हितबद्ध पक्षकार द्वारागोपनीय आधार पर प्रस्तुत प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उस पर विचार किया गया है।

xix. अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017 तक (12 माह तक) की जांच की अवधि के लिए जांच की गई थी। तथापि, वर्ष 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि के दौरान भी क्षति की जांच शामिल है।

xx. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017) के लिए भारित औसत विनियम दर 1 अमरीकी डॉलर = 66.70 रूपए मानी है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद इसके सभी रूपों में "सोडियम नाइट्राइट" है, जिसे एस एन आई के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम नाइट्राइट एक अकार्बनिक रसायन है और यह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। यह सफेद क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो फार्मास्युटीकल उद्योगों, रंजक उद्योगों, लुब्रिकेंट, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लोविंग एजेंट, मीट प्रसंस्करण वस्त्र उद्योग इत्यादि में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। संबद्ध वस्तुएं रेट लिस्ट की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड अथवा अमोनिया से प्राप्त नाइट्रिक एसिड का उपयोग करके तैयार की जाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बाद में सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कॉस्टिक सोडा/ सोडा ऐश में समामेलित हो जाता है। यह उत्पाद गंधहीन होता है और पानी में घुल जाता है।

ii. सोडियम नाइट्राइट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 283410 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

iii. इसकी प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है और घरेलू तथा आयातित उत्पाद की गुणवत्ता में भी कोई अंतर नहीं है।

iv. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु नहीं हैं, आवेदक का यह अवगत कराना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि रूस से आयातित वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर समान वस्तुएं हैं और उसके बाद ही यह जांच शुरू की गई है। प्रतिवादी पक्षकारों ने बिना किसी तथ्य के आधार पर अनुरोध किए हैं और वे इस संबंध में संगत तथ्यों को सामने लाने में विफल रहे हैं।

v. अत: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध क्षेत्र से आयातित वस्तुएं नियमों के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

ख.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कि गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं। संबद्ध वस्तुएं रूस के मूल के सोडियम नाइट्राइट के समान वस्तु नहीं है और इसलिए इस जांच के प्रयोजन से समान वस्तु नहीं है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट एक ऑक्सीडाइजिंग व रिडयूसिंग एजेंट है। यह सफेद क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो फार्मास्युटीकल उद्योगों, रंजक उद्योगों, लुब्रिकेंट, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लोविंग एजेंट, मीट प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग इत्यादि में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। संबद्ध वस्तुएं रेट लिस्ट की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड अथवा अमोनिया से प्राप्त नाइट्रिक एसिड का उपयोग करके तैयार की जाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बाद में सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कॉस्टिक सोडा/ सोडा ऐश में समामेलित हो जाता है। यह उत्पाद गंधहीन होता है और पानी में घुल जाता है।

7. सोडियम नाइट्राइट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 283410 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

8. जहां तक समान वस्तु का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में यह प्रावधान है :

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु से सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

9. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा तैयार किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा तैयार किया गया विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, उत्पादन की प्रौद्योगिकी एवं निर्माण की प्रक्रिया, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के सन्दर्भ में आयात किए गए उत्पादों से तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

10. अत: प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा तैयार किया गया विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, संबद्ध देशों से आयात किए गए संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

I. यह याचिका विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में मैसर्स दीपक नाइट्राइट लि. द्वारा दाखिल की गई थी।

II. देश में याचिकाकर्ता के अलावा, सोडियम नाइट्राइट के तीन और उत्पादक हैं, जिनमें पंजाब कैमिकल एंड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड शामिल हैं।

III. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादकों में रहा है और जांच की अवधि में भारतीय उत्पाद में 92.26 प्रतिशत हिस्सा रहा है और इसीलिए याचिकाकर्ता को नियमों के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" के रूप में माना जाना चाहिए।

IV. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और इसके अलावा वह रूस में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक अथवा उपभोक्ता से संबंधित नहीं है।

ग.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

प्रतिवादी पक्षकारों को वर्तमान मामले में आधार के संबंध मं टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिला क्योंकि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा प्रकट नहीं किया गया है और इसके स्थान पर इन वर्षों के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता की एक सूचीबद्ध प्रवृत्ति प्रदान की है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सूचीबद्ध प्रवृत्ति याचिकाकर्ता के आधार की कोई समझ प्रदान नहीं करती जिस पर जांच की अवधि के दौरान वास्तविक प्रतिशतता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच :

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है :

"ख" "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. यह आवेदन पत्र मैसर्स दीपक नाइट्राइट लि. द्वारा दायर किया गया था और पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लि. और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. द्वारा इसका समर्थन किया गया था । इसके अतिरिक्त, आवेदक और समर्थक के अलावा, संबद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. है।

15. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या (क) आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन है; और (ख) आवेदन पत्र का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों ने किया है जिनका सामूहिक उत्पादन पूरी तरह से समर्थन करने वाले अथवा आवेदन का विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में उत्पादन अकेले 92.11 प्रतिशत है और पी सी पी एल और आर एफ एल के समर्थन से आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 96.10 प्रतिशत उत्पादन है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

भारतीय उत्पादन का विवरण

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
याचिकाकर्ता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	121	122	129
समर्थक का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
पंजाब केमिकल्स	मी. टन	***	***	***	***
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि.	मी. टन	***	***	***	***
समर्थक का उत्पादन	सूचकांक	100	32	29	61
समर्थकों सहित याचिकाकर्ता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	114	114	123
अन्य भारतीय उत्पादक (एन एफ एल)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	121	122	129
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	51,922	59,088	59,334	64,143
	सूचकांक	100	114	114	124
हिस्सा % में					
याचिकाकर्ता का हिस्सा	%	***	***	***	***
समर्थक का हिस्सा	%	***	***	***	***
पंजाब केमिकल्स	%	***	***	***	***
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि.	%	***	***	***	***
समर्थक सहित याचिकाकर्ता	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	%	100.00	100.00	100.00	100.00

16. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) तथा नियम 5 (3) के तहत घरेलू उद्योग है।

घ. <u>गोपनीयता से संबंधित मामले</u>

घ.1 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

(i) किसी भी निर्यातक ने ऐसा गोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया है जो कि गोपनीय पाठ की वास्तविक प्रतिलिपि हो। उन्होंने गोपनीयता के दावे का कोई विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा उत्तर भी निर्यातक की प्रश्नावली के अगोपनीय अंश को दाखिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। अत: सभी निर्यातकों और संबद्ध देशों से उत्पादों के अनुरोध अस्वीकार किए जाने चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत व्यवहार से मना करना चाहिए।

(ii) याचिकाकर्ता ने केवल ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता की अनुमति नियमों के तहत और प्राधिकारी की निरंतर प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की गई है।

(iii) जहां तक आवेदक के हिस्से की सूचकांक प्रवृत्ति के तर्क का संबंध है, याचिकाकर्ता का यह मानना है कि आवेदक ने केवल ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और जिसके लिए देश में प्रकटीकरण के लिए कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। इसके अलावा, आवेदक के हिस्से के संबंध में वास्तविक सूचना का प्रकटीकरण होने से उसके भावी कारोबार को खतरे में डाल सकता है, कुछ मामलों में तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं क्योंकि यह उसके कारोबार की संवेदनशील जानकारी है। व्यापारी, घरेलू प्रतिस्पर्धी और विदेशी उत्पादक वर्तमान जांच में भाग ले रहे हैं और उनका महत्वपूर्ण रूप से कारोबारी हित है।

(iv) जहां तक कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन पर कोई सूचना नहीं होने की बात है, आवदेक यह समझने में विफल रहा है कि यहां अन्य उत्पादों के संबंध में सूचना संगत है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना ही संगत है और वह आवेदक द्वारा पूर्णतया उपलब्ध करा दी गई है।

घ.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(i) आवेदक के आधार की स्थिति को समझना मुश्किल है क्योंकि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से की सूचीबद्ध प्रवृत्ति प्रदान की गई है न कि वास्तविक हिस्सा प्रदान किया गया है। इससे प्रतिवादी पक्षकार आवेदक के दावों का खंडन करने के लिए अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रहा है।

(ii) कंपनी ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है और ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि अन्य उत्पादों के संबंध में कंपनी का निष्पादन क्या है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल के माध्यम से प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया, जिसमें नियम 6 (7) के तहत निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश शामिल है।

(ii) वर्तमान जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के संबंध में और संगत पाए गए अनुरोध के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न अनुरोध किए गए थे, उनकी जांच की गई। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव है, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया।

(iii) यह उल्लेख किया जाता है कि वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय सूचना का प्रकटीकरण, जो जांच की सुविधा की दृष्टि से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई थी, सही और उचित नहीं होगी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के संबंध में गोपनीय सूचना का प्रकटीकरण किए जाने से उसके घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ होगा और घरेलू उद्योग को उपभोक्ताओं के समक्ष नुकसानदेह स्थिति में रखना होगा।

ड. विविध मामले

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न विविध मामलों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(i) आवेदक का यह कहना कि प्राधिकारी को वर्तमान जांच पर ऐसे मामले के रूप में विचार करना चाहिए, जहां निर्यातकों में पाटन की मौजूदगी का विवाद नहीं होता। वास्तविक सच्चाई यह है कि संबद्ध देश से इन निर्यातकों/ उत्पादकों ने पाटन का सहारा लिया है, यह पाटन की मौजूदगी को इंकार न करने से ही प्रमाणित हो जाता है।

(ii) जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क का तब से अनुचित लाभ ले रहा है जब से यूरोपीय संघ और चीन से वर्ष 2000 से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, याचिकाकर्ता का यह कहना है कि पाटनरोधी उपाय प्रतिस्पर्धा के विरोधी नहीं हैं। पाटन अनुचित होता है और ऐसे पाटन के खिलाफ निवारण की मांग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त देशों से पाटित कीमतों पर आयात होते हैं और इसीलिए ये पाटनरोधी उपायों के अध्यधीन हैं।

(iii) प्राधिकारी को रूस के निर्यातकों और उत्पादकों के उत्तरों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सही और प्रमाणित सूचना प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं। प्रतिवादियों ने उनकी संबंधित सरकारों से उन्हें प्राप्त सब्सिडी के संबंध में कोई सूचना प्रदान करने से आसानी से छोड़ दिया गया है, जो कम कीमत के आयातों के लिए एक प्रमुख कारण है।

(iv) याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता द्वारा खर्च के आवंटन और हिस्सेदारी के लिए अपनाई गई पद्धति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए न कि उसे अपने आप संशोधित करना चाहिए। खर्चे की हिस्सेदारी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रणाली रिकॉर्ड में रखी गई है। आवेदन वर्तमान मामले में अपनाई गई पद्धति का अनुसरण करके लगातार लागत सूचना प्रदान कर रहा है। संबंधित उत्पाद के संबंध में विभिन्न ऐसे मामले रहे हैं जिनमें प्राधिकारी ने कंपनी की कार्य प्रणाली को स्वीकार किया था। तथापि, विगत कुछ मामलों में प्राधिकारी ने बिना किसी कारण के अपनी पूर्व प्रथा से हटकर कार्य किया है और परिणामस्वरूप परिकलित गैर-क्षतिकारी कीमत न्योचित से कम है। आवेदक का यह कहना है कि ऐसी ही वर्तमान मामले में भी होना चाहिए था। आवेदक प्राधिकारी से यह निवेदन करता है कि अपनाई गई पद्धति को स्पष्ट करने के लिए घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया जाए कि यदि प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई पद्धति उपयुक्त नहीं है तो इसके लिए घरेलू उद्योग के दावों को तुरंत अस्वीकार न किया जाए।

(v) जहां तक वर्तमान कार्यवाही को शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का संबंध है, आवेदक का यह कहना है कि प्रतिवादियों ने केवल एक सामान्य सी बात कही है और ऐसा तर्क बिना किसी कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार के है। आवेदक ने सभी संगत सूचना प्रदान कर दी है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आरंभ की थी।

ड.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

19. विभिन्न विविध मामलों के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(i) आवेदक उत्पादक अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं पर और अन्य उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों के संदर्भ में व्यापक संरक्षण का लाभ उठा रहा है।

(ii) दाखिल की गई संबंधित याचिका पूर्ण नहीं है और कई तरीके से असंगतताओं और असमर्थन से परिपूर्ण है। अत: निष्पक्ष और उद्देश्यपरक जांच के आधार पर, प्राधिकारी को वर्तमान कार्यवाही शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता के लिए ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

(iii) तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में जांच शुरू करते समय एक महत्वपूर्ण बात में चूक की है कि जांच की अवधि में एक तिमाही में संशोधन से आवेदक की मजबूत स्थिति का पता चलता है और ऐसी संख्या के आधार पर किसी प्रकार की जांच शुरू करना अपेक्षित नहीं था। यह ऐसा तर्क नहीं हो सकता कि केवल जांच शुरू होने के बाद नए आंकड़े आए हैं क्योंकि जांच की अवधि में स्वत: परिवर्तन किया गया था। नियम की अपेक्षाएं

बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राधिकारी को अपने द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के संबंध में क्षति के बारे में स्वयं ही संतुष्ट होना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) जहां तक एकाधिकार का मामला है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करने के लिए है और घरेलू उद्योग को एक समान स्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह न तो आयात को सीमित करने का एक उपाय है और न ही उत्पादों पर लागत में अन्यायोचित वृद्धि किए जाने का कारण है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं है बल्कि एक समान स्तर प्रदान करने और पाटन के कारण यदि कोई क्षति हुई है तो उस क्षति के प्रभाव को नगण्य बनाने के लिए है।

(ii) जहां तक घरेलू उद्योग के आरोप का संबंध है कि रूस के प्राधिकरण संबद्ध वस्तुओं के उत्पादों/ निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में पाटन के प्रभाव, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, की जांच घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका के आधार पर की गई है। तथापि, घरेलू उद्योग को इन स्रोतों से यदि कोई क्षति हो रही है, तो उस सब्सिडी के लिए अलग आवेदन दाखिल कर सकता है।

(iii) जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में प्रदान की गई अपर्याप्त सूचना के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदन में जांच शुरू करने के प्रयोजन से संगत सभी सूचिना निहित है। प्राधिकारी केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदन में, जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य निहित हैं, वर्तमान जांच शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया है। इसके अलावा, जांच शुरू करने के बाद आवेदक से आवश्यक समझी गई सूचना मांगी है और वह आवेदक द्वारा वर्तमान जांच के प्रयोजन से उपलब्ध करा दी गई है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

9. धारा 9 (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा* : (*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो* ; *अथवा* (*ख*) *उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत* ; *परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

(i) रूस के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। रूस में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादों की कीमत के कोटेशन प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग रूस में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के संबंध में कोई भी साक्ष्य अथवा सूचना प्राप्त नहीं कर पाया।

(ii) उपरोक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत के आधार पर, कच्चे माल और अन्य वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानकों पर विचार करते हुए रूस में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने विश्व से भारत में आयात के डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार दो महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों (कॉस्टिक सोडा और अमोनिया) की कीमतों और घरेलू उद्योग के अनुसार नाइट्रिक एसिड की कीमत पर विचार किया है। अन्य सभी परिवर्तन लागतें घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर हैं जिसमें बिक्री, वितरण और प्रशासनिक व्यय को विधिवत समायोजित किया गया है। कुल लागत में 5 प्रतिशत की दर से लाभ शामिल किया गया है।

(iii) आवेदक के निर्यात मूल्य को डी जी सी आई एंड एस के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से औसत आयात कीमत के रूप में निर्धारित किए जाने का दावा किया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच स्पष्ट तुलना करने के लिए दोनों की व्यापार के एक ही स्तर पर तुलना की जानी अपेक्षित है। सी आई एफ स्तर पर गणना की जा रही निर्यात कीमत को समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, घरेलू माल भाड़ा और बैंक प्रभार के आधार पर समायोजित किया गया है।

(iv) याचिकाकर्ता का यह कहना कि जे एस सी उरालकेम और उसके संबद्ध पक्षकारों के उत्तर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करने में विफल रहे हैं और साथ ही यह भी कि भारतीय उपभोक्ताओं तक पूरी मूल्य श्रृंखला उपलब्ध नहीं है, जबकि असंबद्ध पक्षकार के एक उत्तर भी उपलबध नहीं हैं। इस प्रकार परिस्थिति में, प्रतिवादियों को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जाए।

(v) कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात मूल्य के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य स्तर निर्यात कीमत से अधिक है, जिसमें यह दर्शाया है कि संबद्ध देश से नियातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। यह पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है।

(vi) रूस दूतावास ने मौखिक सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया है कि याचिका में पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। दिए गए तर्क के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता का यह कहना है कि यद्यपि आवेदन में यह स्पष्ट हो जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है, अत: अब यह रूस के उत्पादकों/ निर्यातकों पर निर्भर करता है कि वे इसे अन्यथा साबित करें। उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किए जाने के बाद भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है।

(vii) जहां तक आवेदक द्वारा दावा किए गए अधिक बढ़ाए गए पाटन मार्जिन के आरोप का संबंध है, आवेदक का यह कहना कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करेंगे जो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचना की पुष्टि किए जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित करने का आधार बनेगा, जो समग्र कीमत श्रृंखला से उत्तर प्राप्त न होने के कारण ई क्यू आर को अस्वीकार करने के अनुरोध के आधार पर होगा।

(viii) जहां तक इस बात का संबंध है कि जे एस सी उरालकेम द्वारा उत्पादित और बेचे गए विचाराधीन उत्पाद में 4 ग्रेड शामिल हैं और भारत को जिसका निर्यात किया गया है, वह है भारत में एस एन आई टैक्नीकल ग्रेड तो इस संबंध में आवेदक का यह कहना है कि केवल एस एन आई टेक्नीकल ग्रेड की ही 100 प्रतिशत खपत है और भारत में अन्य कोई ग्रेड नहीं है। यह ऐसा ग्रेड है, जिसका आवेदक भी निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रतिवादी पक्षकार द्वारा निर्यात किया गया उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किया गया उत्पाद बाजार में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस संबंध में संगत सूचना पर विचार कर सकते हैं।

च.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

21. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(i) रूस से वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन की संगणना हेतु प्रयुक्त कार्य प्रणाली पर्याप्त आधार के बिना संरचित सामान्य मूल्य को लागू किए जाने के कारण पाटनरोधी करार की अनिवार्यताओं का पालन नहीं करती है।

(ii) जेएससी उरालकैम द्वारा उत्पादित वस्तुएं शत प्रतिशत संबंधित कंपनी- एस आई ए उरालकैम ट्रेडिंग, लात्विया के जरिए निर्यात की गई हैं। हालांकि, भारतीय ग्राहकों को कुछ निर्यात एस आई ए उरालकैम द्वारा कास्मोस वीयू लिमिटेड, हांगकांग, ट्रिगॉन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई और सल्टेरा ग्रुप डी एम सी सी, यू ए ई के जरिए किए गए हैं। सल्टेरा जोकि जे एस सी उरालकैम की एक असंबंधित पार्टी है, ने जे एस सी उरालकैम द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात भी प्रश्नावली दायर नहीं की है। एस आई ए उरालकैम और कास्मोस के उत्तर बताए गए सौदे में सल्टेरा को और सल्टेरा से निर्यात कीमत के विवरणों को सुनिश्चित करेगें। इस प्रकार, उत्पादक एस आई से सल्टेरा को सल्टरा कास्मोस को, कास्मोस से भारतीय ग्राहकों तक एक पूरी श्रृंखला है क्योंकि सल्टरा के जरिए किए गए निर्यात केवल नगण्य हैं और जे एस सी उरालकैम और उसके निर्यातकों के लिए पृथक मार्जिन दिया जाना चाहिए।

(iii) आवेदक द्वारा दावा किए गए अत्यधिक बढ़ाए गए पाटन मार्जिन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि प्रतिवादी द्वारा दायर ई.क्यू प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iv) जैसा कि प्रश्नावली उत्तर में उपलब्ध कराया गया है, जे एस सी उरालकैम द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए पीयूसी में 4 ग्रेड शामिल हैं और जो ग्रेड भारत को निर्यातित किया गया है, वह तकनीकी ग्रेड एस एन 1 है। पृथक मार्जिन को निर्धारित करते समय इस पहलू को तुलना के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।*

23. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने का परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी।

क. मै. ट्रिगॉन गल्फ एफ जैड सी ओ
ख. मै. कॉसमॉस वी यू लिमिटेड
ग. मै. एस आई ए उरालकैम ट्रेडिंग
घ मै. उरालकैम ट्रेडिंग हाउस, एल एल सी
ड. मै. जे. एस. सी. युनाइटटेड कैमिकल कंपनी उराल कैम, रूस

24. चूंकि, ऊपर उल्लिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों के संबंध में समान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। इन निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा की गई सामान्य कार्य प्रणाली में सर्वप्रथम यह जांच करना है कि क्या उनके घरेलू बाजारों में उत्तर प्रस्तुत करने वाले निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्यों के

निर्धारण को स्वीकृति देने के लिए प्रतिनिधि और व्यावहारिक थीं और क्या प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि संतोषजनक थी ।

25. संबद्ध देशों में असहयोगी निर्यातकों के मामले में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) की शर्तों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

26. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया है :

सामान्य मूल्य

मै. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी युनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम, रूस (उत्पादक), मै. एस. आई. ए. उरालकैम ट्रेडिंग, लात्विया (संबंधित निर्यातक), ट्रिगांन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई (असंबंधित निर्यातक) कॉस्मोस वी यू लिमिटेड, हांगकांग (असंबंधित निर्यातक) ।

27. जेएससी युनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है और यह पाया गया है कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर के परिशिष्ट-1 में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री कीमतों के विवरण उपलब्ध कराए हैं । जे एस सी उरालकैम ने सभी संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री एक संबंधित व्यापारी अर्थात उरालकैम ट्रेडिंग हाउस, एल एल सी, रूस के जरिए की है । व्ययों जैसे अंतर्देशीय माल-भाड़ा, क्रेडिट लागत और वास्तविक एस जी ए का और संबंधित व्यापारी मै. उरालकैम ट्रेडिंग हाउस, एल एल सी, रूस के लाभ का समायोजन विदेशी उत्पादक देश में घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के प्रति किया गया है । पी ओ आई के दौरान जे एस सी युनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम ने घरेलू बाजार में उरालकैम ट्रेडिंग हाउस, एल एल सी के जरिए घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है । ये सभी बिक्रियां व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि के अध्यधीन थी। यह पाया गया कि घरेलू बाजार में बिक्रियों का ***% लाभ* पूर्ण था । तद्नुसार, उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य *** अमरीकी डॉलर *प्रति मी. टन ठहरता है ।*

मै. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी युनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम, रूस (उत्पादक), मै. एस. आई. ए. उरालकैम ट्रेडिंग, लात्विया (संबंधित निर्यातक), ट्रिगांन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई (असंबंधित निर्यातक), कॉसमॉस वी यू लिमिटेड, हांगकांग (असंबंधित निर्यातक) की निर्यात कीमत

28. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक मै. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी युनाइटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम, रूस (उत्पादक) ने भारत के साथ ही तीसरे देशों को एक संबंधित पक्षकार मै. एस आई ए उरालकैम ट्रेडिंग, लात्विया (संबंधित निर्यातक) के जरिए *** अमरीकी डॉलर का *** मी.टन की निर्यात बिक्री की है । उपर्युक्त निर्यातित (*संबंधित निर्यातक*) ने चार विभिन्न रूटों अर्थात सीधे तथा तीन विभिन्न असंबंधित व्यापारियों के जरिए, भारत को संबद्ध वस्तुएं सी आई एफ तथा सी एफ आर पर **** अमरीकी डॉलर का **** मी.टन निर्यात किया । मै. एस आई ए उरालकैम ट्रेडिंग, लात्विया ने भारत को सीधे ही *** अमरीकी डॉलर का *** मी.टन निर्यात किया । इसने भारत को सी आई एफ पर *** अमरीकी डॉलर के *** मी.टन, मै. कास्मोस वी यू लिमिटेड, हांगकांग के जरिए, सी एफ आर पर *** अमरीकी डॉलर के *** मी.टन, ट्रिगॉन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई के जरिए और मै. सल्टेरा के जरिए सी आई एफ पर *** अमरीकी डॉलर के *** मी.टन जिसने भारत को मै. कॉसमोस वी यू लिमिटेड, हांगकांग और मै. कॉसमोस को पी यू सी की बिक्री की थी, को पी यू सी का भी निर्यात किया था ।

29. मै. सल्टरा ने ई क्यू आर दायर नहीं की है । चूंकि मै. सल्टरा की क्रय और बिक्री कीमत उपलब्ध है, और एन ई पी को परिकलित करते समय क्रय और बिक्री कीमत के बीच अंतर को एस जी ए और सल्टरा के लाभ के प्रति समायोजित किया गया है। चूंकि निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को उपलब्ध आंकड़ों से प्राप्त किया गया है, आगे की जांच के लिए इस पर विचार किया गया है । द्वितीय निर्यातक ने लिखित में दिया है कि वे मै. सल्टरा और मै. कॉस्मॉस संयुक्त चैनल के जरिए निर्यात के लिए पृथम मार्जिन का दावा नहीं करेंगे ।

30. भारत को बिक्रियां, जैसाकि ऊपर बताया गया है, चार विभिन्न मार्गों के जरिए की जाती है । प्रत्येक मार्ग के लिए निर्यात कीमत को अलग-अलग परिकलित किया गया है । सभी माध्यस्थ व्यापारियों के एस जी ए व्ययों और लाभ

को निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए शामिल नहीं किया गया है । तद्नुसार, समूह के रूप में उपर्युक्त निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत को *** अमरीकी डॉलर के रूप में तैयार किया गया है ।

रूस से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

31. रूस से अन्य सभी निर्यातकों जिन्हें असहयोगी माना गया है, के संबंध में, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) की शर्तों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है।

32. इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार है :-

पाटन मार्जिन

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अम. डॉलर / मी. टन	निवल निर्यात कीमत अम. डॉलर /मी.टन	पाटन मार्जिन अम. डॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
1	मै. जेएससी युनाटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम	मै. एसआईए उरालकैम ट्रेडिंग मै. ट्रिगॉन गल्फ एफ जैड सी ओ, मै. कॉसमॉस वी यू लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
2	सभी अन्य उत्पादक	सभी	***	***	***	***	50-60

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

33. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-II में उपलब्ध कराया गया है कि किसी क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत कर सकता है, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना अनिवार्य समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने उल्लेखनीय सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा रूप से उल्लेखनीय सीमा तक घटित हुआ होता ।

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

34. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि जुलाई, 2016 से जून, *2017* मानते हुए भली भांति दस्तावेजों सहित याचिका दायर की है । तथापि, प्राधिकारी ने अक्टूबर, *2016* से सितंबर, *2017* पी ओ आई मानते हुए जांच आरंभ की । तद्नुसार, आवेदक ने अद्यतित अनुबंध दायर किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रदर्शित किया है :

(i) 2014-2015 में कोई संबद्ध आयात नहीं किए गए । संबद्ध आयात 2015-2016 में आरंभ किए गए और जांच की अवधि में उनमें 21.63 गुणा वृद्धि हुई ।

(ii) कुल आयातों में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 0% से 26% *तक* की वृद्धि हुई ।

(iii) संबद्ध आयातों की मांग में बाजार हिस्से में 0% से 5.86% *तक* की वृद्धि हुई।

(iv) संबद्ध आयातों का पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करना जारी रहा ऐसी कीमत घरेलू उद्योग की तुलना में निम्न है।

(v) संबद्ध आयात निम्न और पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं उनके कारण महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

(vi) संबद्ध देशों से पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग को क्षतिरहित कीमत/उचित कीमत से उल्लेखनीय रूप से निम्न कीमतों पर आ रही हैं, इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और महत्वपूर्ण कीमत से कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन घटित हुआ है।

(vii) घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में *** मी.टन से वृद्धि होकर यह *** मी.टन हो गया है।

(viii) घरेलू उद्योग अभी भी निवेश पर उप-इष्टतम स्तर पर वापसी अर्जित कर रहा है। यदि घरेलू उद्योग के आर ओ आई में सुधार नहीं हो रहा है तो यह संबद्ध देश और अन्य स्रोतों से पाटित आयातों की लगातार उपस्थिति है।

(ix) घरेलू उद्योग यूरोपीय संघ और चीन से पाटन के विगत बुरे प्रभावों से उबर रहा है। किंतु यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि यदि वर्तमान जांच में संबद्ध देश से पाटन की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग मुसीबत में पड़ जाएगा जबकि निर्यातक प्रसन्नता से पाटन करेंगे।

(x) आवेदक ने ई.यू. विनियम 3.5 का संदर्भ भी दिया है जिसमें विगत पाटन के तथ्य पर विचार किया गया है और इस तथ्य का भी कि क्षति का आकलन करते समय घरेलू उद्योग पाटन के पिछले बुरे प्रभावों से समुत्थान की प्रक्रिया में है।

(xi) घरेलू उद्योग का आंशिक समुत्थान बड़ी सीमा तक अन्य स्रोतों से पाटित आयातों पर पाटनरोधी उपायों की विद्यमानता के कारण हुआ है। यह समुत्थान संकट में है क्योंकि वर्तमान मामले में पाटन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक हैं। पाटित आयातों का उल्लेख न करने की अनुमति देने के कारण संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की बढ़ी हुई मात्रा में वृद्धि होगी। बिक्रियों में ऐसी वृद्धि को केवल वर्तमान कीमत स्तरों में कटौती द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। कीमत स्तरों में ऐसी कटौती अनिवार्य रूप से बिक्री कीमतों में क्षरण का कारण बनेगी और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी करेगी जिसके कारण क्षति उत्पन्न होगी।

(xii) यदि रूस से पाटित आयातों को बिना किसी उपाय के अनुमति दी जाती है तो, आगे भी व्यापार विरूपण घटित होने की संभावना है, जो घरेलू उद्योग की उत्थान प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से रूकावट उत्पन्न करेगा।

(xiii) तथापि, घरेलू उद्योग ने अभी हाल ही में विगत पाटन से उत्थान करना आरंभ किया है और यह समुत्थान अभी भी क्षीण है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि गहन उपभोग वृद्धि के संदर्भ में घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में केवल 0.81 प्रतिशत तक विस्तार कर सकता है। हालांकि, पिछले पाटन से कुछ वापसी स्थापित की जा सकती थी, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में किसी पाटित आयातों के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

(xiv) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ज. 2 घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

35. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(i) वर्तमान मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। पाटन के आरोप द्वारा कंपनी क्षति का झूठा दावा कर रही है जबकि आंकड़े, मात्रा और मूल्य दोनों मानदंडों के रूप में निष्पादन की सुदृढ़ स्थिति को दर्शाते हैं और क्षति मानदंड दर्शाते हैं कि भिन्न कारकों जैसे उत्पादन, बिक्रियां, बाजार हिस्से आदि में वृद्धि हुई है और यह पीओआई के दौरान उच्चतम स्तर पर था तथा पिछले वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि हुई थी।

(ii) इसमें एक भारी अंतर है जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में और आवेदन में अवलोकित किया गया है।

(iii) हालांकि, जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई को बढ़ाया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तावित पीओआई में सुधार की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी।

(iv) आवेदक की लाभप्रदता तब भी प्रभावित नहीं हुई थी जब ब्याज में वृद्धि हुई थी। आवेदक अपने उत्पादों के लिए कीमत के निर्धारण की शर्तों में एक मजबूत स्थिति में मौजूद था और आयातों की पहुंच कीमत ने ऐसी कीमत निर्धारण शक्ति को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं किया था जो वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध की अनुपस्थिति को भी दर्शाती है।

(v) हालांकि, घरेलू उद्योग ने आर ओ सी ई और वृद्धि के विवरण उपलब्ध नहीं कराए, ऐसे कारकों की कार्यनीति के लिए संगत आंकड़े दर्शाते हैं कि आर ओ सी ई सभी मानदंडों में वृद्धि सहित संभवत: बहुत मजबूत स्थिति में हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योगों को क्षति पर हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न निवेदनों पर टिप्पणी की है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए इनका विश्लेषण किया।

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख)ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित आयात के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा रूप से काफी अधिक मात्रा में गिरावट आई है अथवा इसमें होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

ज.4 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का आकलन

38. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में मांग या उतपाद के प्रत्यक्ष उपभोग को सभी स्रोतों से भारतीय उतपादकों और आयातों की घरेलू बिक्रियों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग को नीचे सारणी में दिया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत	मी.ट.	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात – रूस	मी.ट.	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश –चीन जन.गण.	मी.ट.	11,432	12,688	5,683	7,925
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश –ई यू	मी.ट.	1,706	1,869	5,746	3,696
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	-	21	24	24
कुल मांग/आबद्ध सहित खपत	मी.ट.	55,265	62,772	63,763	68,515
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उतपादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***
संबद्ध देश – रूस	%	-	0.31	6.33	6.06
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश –चीन जन.गण.	%	20.69	20.21	8.91	11.57

पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश –ई यू	%	3.09	2.98	9.01	5.39
अन्य देश	%	-	0.03	0.04	0.04
कुल हिस्सा	%	100.00	100.00	100.00	100.00

39. 2014-15 में संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ। 2015-16 के बाद से संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है और क्षति अवधि में भारत में आने वाले कुल आयातों में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में और भारतीय मांग में भी वृद्धि हुई है, पी ओ आई में मामूली गिरावट के अतिरिक्त ।

ख. संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सा

40. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(ii) में व्यवस्था की गई है कि पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा उपभोग के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयातों और बाजार हिस्से से संबंधित सूचना नीचे सारणी में उपलब्ध कराई गई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात – रूस	मी.ट.	-	192	4,034	4,152
पाटनरोधी शुल्क लागू करने वाला देश –चीन जन.गण.	मी.ट.	11,432	12,688	5,683	7,925
पाटनरोधी शुल्क लागू करने वाला देश – ई यू	मी.ट.	1,706	1,869	5,746	3,696
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	-	21	24	24
कुल आयात	मी.ट.	13,138	14,770	15,488	15,797
के संबंध में आयात					
कुल आयात	%	-	1.30	26.05	26.28
कुल भारतीय उत्पादन	%	-	0.32	6.80	6.47

41. यह देखा जा सकता है कि 2014-15 में संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ है। 2015-16 में रूस से आयात आरंभ हुए और उसके पश्चात उनमें कुल रूप में तेजी से वृद्धि हुई।

42. इसके अतिरिक्त, पूरी क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।

ज.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

43. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रूप से कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक ह्रास करता है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकता है जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित हुई होती। तद्नुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में जांच की गई है।

क. पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव

44. यह देखने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की गई संबद्ध वस्तुओं की निवल बिक्री वसूली के साथ जांच की संपूर्ण अवधि में संबद्ध वस्तु से पाटित आयातों के पहुंच मूल्यों की तुलना द्वारा कीमत कटौती को निर्धारित किया गया है कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रहे हैं।

45. इस संबंध में, व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की सभी छूटों और करों को घटाकर बिक्री मूल्य के बीच तुलना की गई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की कीमत कटौती को निम्नानुसार तैयार किया गया है :-

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	-	37,133	33,827	38,407
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***
	% रेंज	-	0-5	10-15	0-10

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत स्तर से निम्न है। इस प्रकार आयात घरेलू वस्तुओं में कटौती कर रहे हैं।

ख. पाटित आयातों के कीमत ह्रास, न्यूनीकरण प्रभाव

47. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव का उद्देश्य भारत में समान वस्तु की कीमतों का ह्रास किया जाना था अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकना था जो अन्यथा रूप से घटित हुआ होता।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत– घरेलू	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	96	101
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	102	108
पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	-	37,133	33,827	38,407
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	91	103

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्रियों की लागत और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना दर्शाती है कि 2016-17 और जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत संबंधित उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पाद न की लागत से निम्न है। तथापि, यहां ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव अनुपस्थित है।

ग. पाटित आयातों का कीमत से कम कीमत पर बिक्री प्रभाव

49. पाटित आयातों के कीमत से कम कीमत पर बिक्री प्रभावों की जांच के लिए, आयातों के पहुंच मूल्य की निर्धारित क्षति रहित कीमत के साथ तुलना की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत से कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत को तैयार किया गया है और कीमत से कम कीमत पर बिक्री की सीमा पर पहुंचने के लिए इसकी संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। क्षति रहित कीमत को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसरण में, पी ओ आई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि पी ओ आई के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना में अधिक है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है :

विवरण	इकाई	पीओआई* (भा. रू.)	पीओआई* (अम.डॉ.)
पहुंच कीमत	प्रति मी.टन	38,407	575.78
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी.टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी.टन	(***)	(***)
कम कीमत पर बिक्री	%	(***)	(***)
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	(0-5)	(0-5)

ज.3 अन्य क्षति कारकों की जांच

(i) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

50. नीचे दी गई सारणी क्षति जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों को दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	111	111
उत्पादन- सोडियम नाइट्रेट	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	122	129
उत्पादन –संयंत्र (एसएनओ + एसएनए)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	118	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	107	114
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	122	130

51. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है। वास्तव में, क्षमता उपयोग इष्टतम उपयोग से अधिक है।

(ii) नियोजित पूंजी पर लाभ/हानि, नकद प्रवाह, वापसी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

52. लाभप्रदता मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी पूरी क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रू./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	98	96	101
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	104	102	108
लाभ/हानि	रू./मी.टन	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	-100	236.60	232.61	281.83
लाभ/हानि	लाख रूपए	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	-100	288.56	283.15	366.13
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	671	608	814
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	782	816	941
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	608	516	636

जैसा कि नीचे दी गई सारणी से प्रमाणित होता है :-

(iii) **रोजगार, वेतन और उत्पादकता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

53. पूरी क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रति दिन की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	101	101
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	135	137
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	121	128
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	122	129

(iv) मालसूची पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

54. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दी गई सारणी से प्रमाणित होता है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	198	217	385

(v) पाटन और पाटन मार्जिन का परिमाण

55. संबद्ध देश के लिए पाटित आयातों पर पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण रूप से न्यूनतम सीमा से अधिक है जैसा कि ऊपर विचारित किया गया है।

घ. क्षति मार्जिन

56. घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत को क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आयातों के संबंधित पहुंच मूल्य के साथ उचित तुलना के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	निर्यातक	एनआईपी अम. डॉलर /मी .टन	पहुंच मूल्य अम. डॉलर /मी .टन	क्षति मार्जिन अम. डॉलर /मी .टन	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	मै. जेएससी युनाटेड कैमिकल कंपनी उरालकैम	मै. एसआईए उरालकैम ट्रेडिंग मै. ट्रिगॉन गल्फ एफ जैड सी ओ, मै. कॉसमॉस वी यू लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(0-5)
2.	अन्य सभी उत्पादक	सभी	***	***	***	***	5-15

57. जांच की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एकत्रित जांच के अनिवार्य तथ्य और वर्तमान प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे ताकि वे हितबद्ध पक्षकार इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

ज्ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध

58. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पहले ही पूर्व में उठा दिए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:

i. जेएससी उरालकेम और उससे संबंधित पक्षकारों के उत्तर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि भारतीय ग्राहकों तक पूरी मूल्य श्रृंखला उपलब्ध नहीं है। स्थापित परिपाटी से हटने के कारण प्रकटन विवरण से स्पष्ट नहीं है।

ii. निर्धारित क्षति रहित कीमत बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक क्षति मार्जिन हो रहा है। एनआईपी भाग के सिद्धांत में संशोधन कर और खर्चों के घटकों की संख्या अलग करके अनुचित रूप से कम की गई है। एनआईपी के निर्धारण के लिए सिद्धांत पूर्व जांचों से काफी बदला गया है।

iii. संबद्ध देश से आयात पूर्ण मात्रा में काफी बढ़े हैं और भारत में आने वाले कुल आयातों में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा भी बढ़ा है। मांग में बाजार हिस्सा भी बढ़ा है।

iv. संबद्ध आयात कम और पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और काफी कीमत कटौती कर रहे हैं।

v. प्राधिकारी ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि न्यूनीकरण और ह्रास के प्रभाव नहीं है; क्योंकि 2016-17 और जांच के अवधि में आयातों की पहुँच कीमत उत्पादन लागत के स्तर से कम है।

vi. प्राधिकारी ने एनआईपी का निर्धारण गलत किया है, जैसा कि ऊपर दिया गया है जिससे नकारात्मक क्षति मार्जिन हो रहा है; क्योंकि संबद्ध देश से पाटित आयात वस्तुतः क्षति रहित कीमत/घरेलू उद्योग की उचित कीमत से काफी कम कीमतों पर भारत में आ रहे हैं, इस प्रकार सकारात्मक और काफी कीमत कटौती/क्षति मार्जिन हो रहा है।

vii. भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा उस समय भी पूरी क्षति अवधि में स्थिर रहा, जब उसी अवधि के दौरान मांग बढ़ी।

viii. जांच की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों सकारात्मक और काफी हैं।

ix. घरेलू उद्योग के सामने पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण वास्तविक क्षति की स्थिति है।

x. प्राधिकारी की चिंता के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, क्षमता, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संदर्भ में सुधार हुआ है और निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक हैं; यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग यूरोपीय संघ और चीन से पाटन के विगत कुप्रभाव से उबर रहा है, और इसीलिए यह स्वभाविक था कि घरेलू उद्योग का निष्पादन सुधार दर्शाएगा।

xi. कुछ मानदंडों में प्रवृत्तियां सकारात्मक हो सकती हैं; परंतु घरेलू उद्योग जांच की अवधि में निवेश पर आय ("आरओआई") के इष्टतम स्तर से कम आय कमा रहा है।

xii. जहां तक 2015-16 के दौरान क्षमता विस्तार संबंधी तर्क का संबंध है, यह अनुरोध है कि क्षमता में वृद्धि भारत में मांग में वृद्धि को ध्यान में रख रही थी।

xiii. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि घरेलू उद्योग को क्षति का पूरा कारण पाटित आयात होने चाहिए और ऐसा लगता है कि उन्होंने कानूनी अपेक्षाओं की अनदेखी की है कि घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण केवल पाटन है।

xiv. पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी डॉलर/किग्रा में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित स्वरूप) के रूप में लगाया जाए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

60. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

जेएससी उरालकेम और उसके निर्यातकों के लिए अलग-अलग मार्जिन का प्रस्तावित निर्धारण महत्वपूर्ण, उचित और कानून के अनुसार है तथा हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम में भी वही दृष्टिकोण अपनाएं। यह अनुरोध है कि मैसर्स सुलतेरा के माध्यम से निर्यात चैनल प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि सुलतेरा द्वारा विचाराधीन उत्पाद की खरीद और बिक्री कीमत क्रमशः एसआईए उरालकेम और कॉसमॉस, हांगकांग द्वारा दायर उत्तरों से निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, हम वचन देते हैं कि मैसर्स एसआईए उरालकेम द्वारा विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भविष्य में सुलतेरा, यूएई के माध्यम से कभी नहीं भेजा जाएगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और उनका पहले ही पूर्व में समाधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संगत सीमा तक और अन्यत्र हितबद्ध पक्षकारों के जिन अनुरोधों का समाधान नहीं किया गया है, उनकी निम्नलिखित रूप में जांच की है:

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में एनआईपी के निर्धारण के लिए अपनाया गया सिद्धांत वही है जो पूर्व जांचों में निरंतर अपनाया गया है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में लागत के काफी अनुपात में कच्ची सामग्री की लागतों और यूटिलिटियों की लागत शामिल है जिनकी अनुमति वास्तविक के आधार पर दी गई है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि घरेलू उद्योग के पिछले कई वर्षों से पाटनरोधी जांचों के तहत कई उत्पाद हैं। दिनांक 12.05.2014 की अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के दौरान यह पाया गया था कि कंपनी ने दो अलग-अलग संयुक्त उत्पादों अर्थात सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के लिए आबंटन की भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनाई थीं। चूंकि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत अपेक्षित सतत पद्धति नहीं अपनाई, अतः दोनों उत्पादों अर्थात सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के संबंध में तभी से अन्य लागतों के आबंटन के लिए समान सिद्धांत अपनाया गया है और उसके बाद सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सकारात्मक कीमत कटौती के बावजूद कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास नहीं है।

iii. क्षति मार्जिन मैसर्स सुलतेरा और कॉसमॉस चैनल के माध्यम से किए गए निर्यातों को ध्यान में रखने के बाद भी नकारात्मक है, जहां पहुँच मूल्य सभी निर्यात चैनलों में से सबसे कम है। सुलतेरा के माध्यम से निर्यातों को हटाने से क्षति मार्जिन और भी नकारात्मक हो जाएगा।

ञ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

62. पाटनरोधी नियमावली के तहत दी गई वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. संबद्ध देश से आयात से कीमत संबंधी मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में सुधार हुआ है।

iii. कम कीमत पर कोई बिक्री नहीं है और क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत संगत प्रावधानों के संदर्भ में जांच की अवधि में वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

क. कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक

63. चूंकि, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, अतः प्राधिकारी कोई कारणात्मक संपर्क और क्षति होने का विश्लेषण नहीं निकाल रहे हैं।

ट. सिफारिश

64. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने पर और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषणों के आधा पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते और इस जांच को पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार एतदद्वारा रद्द करते हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

65. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

(Final Findings)

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Sodium Nitrite" originating in or exported from Russia.

F. No. 6/29/2017-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, whereas , M/s Deepak Nitrite Ltd (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Act, and the Rules, alleging dumping of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from Russia (herein after also referred to as subject country) and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence of dumping, injury and causal link submitted by the applicant, issued a public notice dated 19th December, 2017, in accordance with Rule 6(1) of the Rules, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry

A. Procedure

3. Procedure described below has been followed with regard to this investigation by the Authority.

i. In terms of sub-Rule 5 of Rule 5, the Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application from the domestic industry requesting for initiation of antidumping investigation.

ii. The Embassy of the subject country in New Delhi was also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).

iii. The Designated Authority sent copy of initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers in India and other interested parties, as per the information available with it, as well as the domestic

industry. Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters, were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters/ producers with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

iv. Copy of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) supra.

v. Exporters' Questionnaires was sent to the following known producers/exporters from the subject country in accordance with the Rule 6(4) to elicit relevant information.

a. M/s UCC Ural Chem

vi. The following producers/exporters, exporting the subject goods originating in or exported from the subject country, have filed questionnaire responses:

a. M/s Trigon Gulf FZCO
b. M/s Cosmoss VU Limited
c. M/s SIA Uralchem Trading
d. M/s Uralchem Trading House, LLC
e. M/s JSC United Chemical Company Uralchem, Russia

vii. Apart from the above responses, the Trade Representation of the Russian Federation filed its submissions in the form of comments by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation.

viii. Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of the subject goods in India calling for necessary information, in prescribed formats, in accordance with Rule 6(4):

a. M/s Ahmedabad Chemicals
b. M/s Asiatic Industries
c. M/s Aries Dyechem Inds.
d. M/s Bakul Aromatics & Chemicals Limited
e. M/s B. I. Mehta
f. M/s Caffil Pvt. Ltd.
g. M/s Dintex Dyechem Limited
h. M/s Dynamic Industries Limited
i. M/s Enzel Chem(I) Pvt. Ltd.
j. M/s Farmson Pharmaceuticals
k. M/s Indocol Chem Ltd.
l. M/s Island Veerchemie
m. M/s Jansons Limited
n. M/s Ketul Chem Pvt. Ltd.
o. M/s Metrochem Industries,
p. M/s Manish Chemicals
q. M/s Parsin Chemicals Limited
r. M/s Prabava Exports
s. M/s Ravi Dyewear Co. Ltd.
t. M/s Roha Dyechem M/s
u. M/s Savakashi Dye – O – Fab

v. M/s SU – Vi Chemicals Ltd.

w. M/s Suven Pharmaceuticals Limited

ix. None of the importers/users of the subject goods have filed the importer questionnaire responses. However, one of the importers named M/s Sandeep Organics Limited has submitted a letter opposing the petition for imposition of anti-dumping duty.

x. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports after due examination of the import transactions data of the subject goods after discarding the data concerning unrelated products;

xi. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

xii. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), was worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry. The Non-injurious price (NIP) has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules;

xiii. The Authority held an oral hearing on 10.04.2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.

xiv. On the spot verification of the data of the domestic industry as well as that of the cooperating exporters, was carried out to the extent considered necessary.

xv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this notification.

xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its observations in this notification on the basis of the facts available.

xviii. *** in this Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix. Investigation was carried out for the period of investigation starting from October 2016 to September 2017 (12 months). However, the injury investigation covers the period 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

xx. The Authority has taken weighted average exchange rate for the POI (October 2016 to September 2017) as 1 USD= Rs 66.70.

B. Product under Consideration and Like Article

B.1 Views of the Domestic industry

4. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of product under consideration:

i. The product under consideration in the present petition is "Sodium Nitrite", also known as SNI, in all its forms. Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, meat processing, textiles, etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get Sodium Nitrite. The product is odourless and soluble in water.

ii. Sodium Nitrite is classified under heading 283410 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

iii. There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product.

iv. As regards the argument that the subject goods are not like article, the applicant submits that the Designated Authority has prima facie accepted that the imported goods from Russia and those produced by the domestic industry are like article on the basis of information provided by the domestic industry and then initiated the investigation. Opposite parties have made submissions without any factual basis and failed to bring out relevant facts in this regard.

v. Hence the goods produced by the domestic industry and imported from the subject territory are like articles in accordance with the Rules.

B.2 Submissions by exporters, importers and other interested parties

5. The following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regards to scope of product under consideration. Subject goods are not similar to sodium nitrite originating from Russia and hence are not like article for the purpose of this investigation.

B.3 Examination by the Authority

6. The product under consideration is Sodium Nitrite. Sodium Nitrite is an oxidizing as well as reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceutical industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, meat processing, textiles etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get sodium nitrite. The product is odourless and soluble in water.

7. Sodium Nitrite is classified under heading 283410 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

8. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

10. In view of the above, the Authority notes that for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioner are treated as like article of the product imported from the subject country within the meaning of the Rules.

C. Domestic Industry and Standing

C.1 Views of the Domestic industry

11. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The petition was filed by M/s Deepak Nitrite Ltd. as a domestic producer of the product under consideration.

ii. There are three more producers of Sodium Nitrite in the country, apart from the petitioner, namely, Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited, National Fertilizer Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited.

iii. The Applicant has submitted that it continues to be a major producer of the subject goods in India and commands 92.26 % share in the Indian production in the POI and, therefore, the petitioner should be treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.

iv. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in Russia or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

C.2 Submissions by exporters, importers and other interested parties

12. The following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties regarding the standing and scope of domestic industry –

The opposing parties are left with no opportunity to comment on the standing aspect in the present case as the actual share of the petitioner in total Indian production is not disclosed and instead provided an indexed trend of share of the petitioner in total Indian production over the years which is of no meaning. Indexed trend would not permit any understanding of the standing of the petitioner which should be discussed in terms of actual percentage during the POI.

C.3 Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

14. The application was filed by M/s Deepak Nitrite Limited and was supported by Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. Further, there is only one other producer of the subject goods apart from the applicant and supporter, namely, National Fertilizer Ltd..

15. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicant constitutes 92.11% of the total domestic production; and, with support of PCPL and RFL, the applicant constitutes 96.10% of the total Indian production. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or any importer of the product under consideration in India.

Statement of Indian Production

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Petitioner	MT	***	***	***	***
	Index	100	121	122	129
Supporter's Production	MT	***	***	***	***
Punjab Chemicals	MT	***	***	***	***
Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd.	MT	***	***	***	***
Supporter's Production	Index	100	32	29	61
Petitioner including supporters	MT	***	***	***	***
	Index	100	114	114	123
Other Indian Producers (NFL)	MT	***	***	***	***
	Index	100	121	122	129
Total Indian Production	MT	51,922	59,088	59,334	64,143
	Index	100	114	114	124
Share in %					
Petitioner Share	%	***	***	***	***
Supporter's Share	%	***	***	***	***
Punjab Chemicals	%	***	***	***	***
Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd.	%	***	***	***	***
Petitioner including supporter	%	***	***	***	***
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Total Indian Production	%	100.00	100.00	100.00	100.00

16. In view of the above, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements and constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

D. Issues Relating To Confidentiality

D.1 Views of the Domestic industry

(i) None of the exporters has provided the non-confidential version which is an exact replica of their confidential version. They have kept all the volume related information confidential. The respondents have claimed excessive confidentiality without any proper justification. They have also not provided any statement of claim of confidentiality. Further, the responses are in violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of the exporter's questionnaire responses. Therefore, the submissions of all the exporters and producers from the subject countries should be disregarded and individual treatment to them be denied.

(ii) The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.

(iii) As regards the contention with respect to indexed trend of the share of the applicant, the petitioner submits that the applicant has claimed only such information confidential which is not in public domain and for which there is no mandatory requirement for disclosure in the country. Moreover, disclosure of actual information with regard to applicant's share can jeopardize its future business, in some cases with far reaching implications, as it is business sensitive information. The trader, domestic competitors and foreign producers have been participating in the present investigations and have significant business interests.

(iv) As regards the contention with respect to no information on the performance of other products of the company, the applicant fails to understand that how information related to other products is relevant here. The information related to product under consideration in present investigation is only relevant and the same has been sufficiently provided by the applicant.

D.2 Submissions by exporters, importers and other interested parties

17. The following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regards to confidentiality:

(i) It is difficult to understand the position of standing of the applicant as indexed trend of share of the applicant in total Indian production is provided and not the actual share. This has deprived the opposing parties from exercising its legitimate rights to provide rebuttals to the claims of the applicant.

(ii) The company has resorted to excessive confidentiality and there is no information available as to what is the performance of the company in terms of other products.

D.3 Examination by the Authority

(i) The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

(ii) The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority, were examined. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has

accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

(iii) It is noted that disclosure of the commercially sensitive and confidential information, provided by the interested parties to the Designated Authority to facilitate the investigation, will not be fair and proper. The disclosure of confidential information relating to the selling price of the domestic industry will provide undue advantage to its domestic as well as overseas competitors and place the domestic industry in a disadvantageous position before the consumers.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 Views of the Domestic industry

18. The domestic industry has made following submissions with regard to the various miscellaneous issues:

(i) The applicant submits that the Authority should consider the present investigation as a case where exporters do not even dispute existence of dumping. The very fact that these exporters/producers from the subject country have resorted to dumping gets established by their non-denial of existence of dumping.

(ii) As regards the contention that the domestic industry is enjoying undue advantages of anti-dumping duty since anti-dumping duty has been in force on the subject goods from the European Union and China since 2000, the petitioner submits that anti-dumping measures are not anti-competitive. Dumping is unfair and seeking redressal against such dumping cannot be considered unfair. The imports from the above named countries are at dumped prices and therefore are subject to anti-dumping measures.

(iii) The Authority should not accept responses of Russian exporters and producers as they have failed to discharge their obligation of providing correct and certified information. The respondents have conveniently omitted to provide any information in regard to subsidy received by them from their respective governments which are amongst one of the major reason for low priced imports.

(iv) The Petitioner requests that the methodology adopted by the petitioner for allocation and apportionment of expenses must be accepted by the Authority and not modified suo-motu. Methodology adopted by the petitioner for apportionment of expenses has been put on record. The applicant has been consistently providing costing information following the methodology adopted in the present case. There have been various cases related to the product concerned wherein the Authority had accepted company's methodology. However, in the past few cases, the Authority has deviated from its past practice without any reason and resultantly; the non-injurious price computed has been lower than justified. The Applicant has the apprehension that the same might happen in the present case as well. The applicant humbly requests the authority to direct the domestic industry to justify the methodology adopted in case the Authority considers that the methodology adopted by the petitioner is inappropriate, instead of outright rejecting the claims of the domestic industry.

(v) As regards the contention of sufficiency of the evidence to justify initiation of the present proceedings, the applicant submits that the respondents have made only a generalized statement and such argument is without any legal or factual basis. The applicant has provided all the relevant information The Authority had initiated the present investigations on the basis of sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury.

E.2 Submissions by exporters, importers and other interested parties

19. The following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regard to the various miscellaneous issues:

(i) The applicant producer enjoys a wide net of protection in terms of antidumping duties on the subject good from other countries and on its other products.

(ii) The concerned application filed is incomplete, full of inconsistencies and unsupported in many ways. Hence on the basis of 'unbiased and objective' examination, the Authority could not have satisfied itself to the sufficiency of the evidence to justify initiation of the present proceedings.

(iii) However, one important aspect missed out by the Authority while initiating the present case is that modification of POI by one quarter showed an even healthier situation of the applicant and no initiation was warranted based on such numbers. It cannot be an argument that the new data surfaced only after initiation as the POI was changed suo moto. The requirement of the rule is very clear that the Authority ought to have satisfied itself of the injury concerning POI selected by it.

E.3 Examination by the Authority

i. As regards the monopoly issues, the authority notes that anti-dumping duty is to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry. It is neither a measure to restrict import nor to cause an unjustified increase in cost of products. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is not to give protection to the domestic industry but to provide level playing field and nullify the injurious effect, if any, due to dumping.

ii. In relation to the allegation of the Domestic Industry that Russian Authorities are giving subsidy to the producers / exporters of the subject goods, it is noted that in this present investigation, the dumping effects which may lead to the injury to the domestic industry has been examined based on the petition filed by the domestic industry. However, domestic industry may file separate application to address the subsidy causing injury, if any, from these sources.

iii. As regards the argument of insufficient information provided by the domestic industry in the application filed by them, the authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained prima facie evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant for the purpose of the present investigation.

F. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

ii) *or*

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under subsection (6): Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1 Views of the Domestic industry

20. Submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. Efforts have been made to get the information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Russia. Efforts have also been made to get price quotations of producers of subject goods in Russia. However, the domestic industry has not been able to get any information or evidence of price of subject goods in Russia.

ii. In view of the above, the domestic industry has determined normal value in Russia on the basis of cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities. The applicant has considered prices of two major raw materials (Caustic Soda and Ammonia) as per the DGCI&S data of imports into India from world and price of Nitric Acid as per the domestic industry. All other conversion cost is based on cost to the domestic industry, duly adjusted for selling, distribution and administrative expenses. Profit at the rate of 5% has been added to the total cost.

iii. The applicant has claimed determination of export price as the average import price from subject country on the basis of data procured from DGCI&S. For fair comparison between the normal value and export price, it is necessary to compare the two at the same level of trade. The export prices being calculated at the CIF level, have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges.

iv. The petitioner submits that the response of the JSC Uralchem and its related parties should not be accepted for the purpose of determining normal value, given the fact that they have failed to disclose vital information and also that that the complete value chain up to Indian customers is not available even when a response from an unrelated party is missing. In such a scenario, the respondents should not be given individual dumping margin.

v. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de-Minimis.

vi. The Russian Embassy has contended during the oral hearing that there is insufficient evidence of dumping in the petition. In perspective of the arguments raised, the petitioner submits that while the application demonstrates that the dumping margin is above de minimis limit, it is now for the Russia producers/exporters to prove otherwise. No such claim has been lodged by them even after having filed exporter questionnaire response.

vii. As regards the allegation of highly inflated dumping margins claimed by the applicant, the applicant humbly submits that the Designated Authority shall determine the dumping margin and injury margin, which shall form the basis for a determination of quantum of ADD, after verifying all the information submitted by the parties subject to the request for rejection of the EQR on account of absence of response from the entire value chain.

viii. As regards the assertion that PUC produced and sold by JSC Uralchem involves 4 grades and what has been exported to India is Technical Grade SNI in India, the applicant submits that 100% consumption is of SNI technical grade only and there is no other grade used in India. This is the grade that applicant also manufactures. Thus, the products exported by the opposing party and that manufactured by the domestic industry directly compete with each other in the market. The Designated Authority may take relevant information into account.

F.2 Submissions by exporters, importers and other interested parties

21. Submissions made by the exporters, importers and other interested parties with regard to, normal value, export price and dumping margin are as follows –

i. The methodology used for calculation of the dumping margin for goods from Russia does not comply with the requirements of anti-dumping agreement because of the application of structured normal value without sufficient grounds.

ii. Goods produced by JSC Uralchem are 100% exported through related co.-SIA Uralchem Trading, Latvia though there were some exports made to the Indian customers by SIA Uralchem through Cosmos Vu Limited, Hong Kong, Trigon Gulf FZCO, UAE and Sultera Group DMCC, UAE. Sultera which is an unrelated party to JSC Uralchem has not filed EQ even after intimation by JSC Uralchem. Response of SIA Uralchem and Cosmos will ensure details of export price to Sultera and from Sultera in the given transaction. Thus, a complete chain from producer SIA to Sultera to Cosmos to Indian customer is available because exports through Sultera are only insignificant and individual margin for JSC Uralchem and its exporters should be given.

iii. Highly inflated dumping margins claimed by applicant should not be accepted rather should be determined based on the EQ Response filed by the respondents.

iv. As provided in the EQ Response, PUC produced and sold by JSC Uralchem involves 4 grades and what has been exported to India is Technical Grade SNI. This aspect should be taken into consideration for the purpose of comparisons while determining individual margins.

F.3 Examination by the Authority

22. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

23. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Authority notes that the following exporter/producers have responded and filed questionnaire response.

a. M/s. Trigon Gulf FZCO
b. M/s. Cosmoss VU Limited
c. M/s. SIA Uralchem Trading
d. M/s. Uralchem Trading House, LLC
e. M/s. JSC United Chemical Company Uralchem, Russia

24. Since the above mentioned producers/exporters have filed the questionnaire response, the Authority determines Normal Value and Export Price in respect of cooperative exporters. The general methodology adopted by the Authority for determination of Normal Value for these exporters is to first examine whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents.

25. In the case of non-cooperating exporters in the subject countries, the Authority determines the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules.

26. The Authority determines the normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject goods as follows:

G. <u>DUMPING MARGIN</u>

G.1. Normal Value

Normal Value of M/s. Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Russia (Producer), M/s SIA Uralchem Trading, Latvia (Related Exporter), Trigon Gulf FZCO, UAE(Unrelated Exporter) Cosmoss VU Limited, Hong Kong, (Unrelated Exporter)

27. The questionnaire response filed by JSC United Chemical Company Uralchem has been examined and it is found that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in Appendix-1of their response. JSC Uralchem sold all the subject goods in the domestic market through a related trader namely Uralchem Trading House, LLC, Russia. The adjustment of expenses such as inland freight, credit cost and actual SGA and profit of related trader M/s. Uralchem Trading House, LLC, Russia has been made towards determination of domestic sales price in the foreign producers country. During the POI JSC United Chemical Company Uralchem sold *** MT of the subject goods in domestic market through Uralchem Trading House, LLC. All these sales were subjected to ordinary course of trade test. It was found ***% of the sales in domestic market were profitable. Accordingly, the normal value for the above producers/exporters works out to *** US$ per MT.

Export price of M/s. Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Russia (Producer), M/s. SIA Uralchem Trading, Latvia (Related Exporter), Trigon Gulf FZCO, UAE (Unrelated Exporter) Cosmoss VU Limited, Hong Kong, (Unrelated Exporter).

28. The producer M/s. Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Russia (Producer), of subject goods has made export sales of *** MT for *** USD through a related party M/s. SIA Uralchem Trading, Latvia (Related Exporter) to India as well as to third countries. Out of the above total quantity exported, M/s. SIA Uralchem Trading, Latvia (Related Exporter) exported ***MT for *** USD at CIF as well as CFR the subject goods to India in four different routes i.e. directly as well as through three different unrelated traders. M/s. SIA Uralchem Trading, Latvia exported *** MT for *** USD to India directly. It has also exported PUC to India through M/s. Cosmoss VU Limited, Hong Kong *** MT for ***USD at CIF, *** MT for *** USD at CFR through Trigon Gulf FZCO, UAE and *** MT for *** USD at CIF through M/s. Sultera who sold the PUC to M/s. Cosmoss VU Limited, Hong Kong and M/s. Cosmoss to India.

29. M/s Sultera has not filed the EQR. As purchase and sale price of M/s. Sultera is available and the difference between purchase and sale price has been adjusted towards SGA and profit of Sultera group while computing NEP. Since, export price and landed value can be derived from the available data, the same has been considered for further examination. Secondly, the exporter has given in writing that they will not claim individual margin for export through M/s. Sultera and M/s. Cosmoss combined channel. NEP and Landed value of this channel is also less as compared to other channels.

30. Sales to India, as explained above, have taken place through four different routes. The export price for each routes are separately calculated. The exporter has claimed Ocean freight, marine insurance, inland freight to arrive at the net export price. SGA expenses and profit of all intermediate traders have also been excluded to derive the net export price. Accordingly, the net export price for the above exporters as a group worked out as *** USD.

G.2. All other Producers/Exporters from Russia

31. In respect of all other exporters from Russia who are treated to be non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

32. The normal value and export price so determined is as under:

Dumping Margin

Sl. No.	Producers	Exporter	Normal value USD /MT	Net Export Price USD/MT	Dumping margin USD/MT	Dumping margin %	Dumping margin Range
1	M/s. JSC United Chemical Company Uralchem	M/s. SIA Uralchem Trading M/s. Trigon Gulf FZCO M/s Cosmoss VU Limited	***	***	***	***	25-35
2	All other producers	All	***	***	***	***	50-60

H. Determination of Injury and Causal Link

33. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure – II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent impact of such imports on domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

H.1 Views of the domestic industry

34. Submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link are as follows:

The domestic industry had filed duly documented petition considering POI to be July, 2016 to June, 2017. However, the Authority initiated the investigation considering October, 2016 to September, 2017. Accordingly, the applicant filed the updated annexures which inter-alia demonstrate the following:

i. There were no subject imports in 2014-2015. Subject imports started in 2015-2016 and increased by 21.63 times in the period of investigation.
ii. Market share of subject imports in total imports increased from 0% to 26%.
iii. Market share in Demand of the subject imports increased from 0% to 5.86%.
iv. The subject imports have continued to enter the Indian market at dumped prices, at a price which is lower than that of domestic industry.
v. Subject imports are entering at low & dumped prices and causing considerable price undercutting.
vi. Dumped imports from subject country are coming to India at prices significantly below the non-Injurious price/fair price of the domestic industry, thus resulting in positive and significant price underselling/injury margin.
vii. The average inventory of the domestic industry has increased from *** MT to *** MT.
viii. The domestic industry is still earning sub-optimal level of return on investment. If the ROI of the domestic industry is not improving, it is because of the continued presence of dumped imports from the subject country and other sources.
ix. The domestic industry is recovering from the past ill-effects of dumping from the European Union and China. But what is pertinent to note is that if the dumping from the subject country in the present investigation is allowed, the domestic industry will be left in the lurch while the exporters merrily dump.
x. The applicant also referred to the EU regulation 3.5 which provides consideration of the fact of past dumping and the fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effects of dumping while assessing injury.
xi. The partial recovery of the domestic industry is to a large extent due to the existence of the anti-dumping measures on dumped imports from other sources. This recovery is in danger as both the dumping and injury margin are positive in the present case. Allowing the dumped imports unaddressed would lead to the sale of increasing quantities of subject goods from the subject country. Such an increase in sales can only be accomplished by undercutting existing

price levels. Such undercutting of price levels will inevitably cause an erosion of sales prices and a decrease of the profitability of the domestic industry, leading to injury.

xii. If dumped imports from Russia are allowed without any measures, further trade distortions are likely to occur, which would inevitably lead to a halt in the recovery process of the domestic industry.

xiii. Nevertheless, the domestic industry only started to recover from the past dumping recently and this recovery is still fragile. This is evidenced by the fact that in a context of steep consumption increase, the domestic industry could only expand its market share by 0.81% only. Although some recovery from the past dumping could be established, the domestic industry remains vulnerable to the injurious effects of any dumped imports in the domestic market.

xiv. The dumping margin is not only above *de minimis* but also significant.

H.2 Views of Other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

35. Submissions made by the exporters, importers and other interested parties with regard to injury and causal link are as follows:

i. There is no injury in the present case. The company is making false claims of injury by alleging dumping even when data shows robust situation of performance both in terms of volume and value parameters and that the injury parameters shows that factors such as production, sales, market share, etc has increased and was at the highest level during the POI and the growth was consistent over the years.

ii. There is huge gap in what is observed as injury in initiation notification and in the application.

iii. Though the POI was extended by the Authority at the time of initiation, the trend that has been there in the proposed POI by the applicant was also of improvements.

iv. The profitability of the applicant was not impacted even when the interest expenses increased. The applicant was enjoying a strong position in terms of fixation of price for its products and the landed price of imports did not adversely impact such pricing power which shows absence of causal link also in the present case.

v. Though the DI did not provide details of ROCE and growth, the relevant figures for the working of such factors shows that ROCE might have been at very healthy position along with growth in all parameters.

H.3 Examination by the authority

36. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analysed the same considering the facts available on record.

37. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of

such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the prices of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases which would have otherwise occurred to a significant degree.

H.4 Volume effect of dumped imports

a. Assessment of Demand

38. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below. The Authority notes that the demand of the product under consideration has increased continuously over the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***
Captive Consumption of DI	MT	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject country- Russia	MT	***	***	***	***
Country attracting ADD-China PR	MT	11,432	12,688	5,683	7,925
Country attracting ADD-EU	MT	1,706	1,869	5,746	3,696
Imports from Other Countries	MT	-	21	24	24
Total Demand/consumption including Captive	MT	55,265	62,772	63,763	68,515
Domestic Industry Sales	%	***	***	***	***
Captive Consumption of DI	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Subject country- Russia	%	-	0.31	6.33	6.06
Country attracting ADD-China PR	%	20.69	20.21	8.91	11.57
Country attracting ADD-EU	%	3.09	2.98	9.01	5.39
Other Countries	%	-	0.03	0.04	0.04
Total Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00

39. There were no imports from the subject country in 2014-15. Volume of import from subject country has increased continuously since 2015-16 and the market share of the subject country in total imports coming to India and in the Indian demand has also increased over the injury period, except with a slight decline in the POI.

b. Import volumes and share of subject country

40. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that with regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The information regarding imports and market share is provided in the table below.

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Imports from Subject country- Russia	MT	-	192	4,034	4,152
Country attracting ADD-China PR	MT	11,432	12,688	5,683	7,925
Country attracting ADD-EU	MT	1,706	1,869	5,746	3,696
Imports from Other Countries	MT	-	21	24	24
Total Imports	MT	13,138	14,770	15,488	15,797
Imports in relation to					
Total Imports	%	-	1.30	26.05	26.28
Total Indian Production	%	-	0.32	6.80	6.47

41. It would be seen that there were no imports from the subject country in 2014-15. The imports started from Russia in 2015-16 and increased steadily in absolute terms thereafter.

42. Further, imports in relation to total imports increased throughout the injury period.

H.5 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

43. With regard to the impact of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression.

a. Price undercutting effect of the dumped imports

44. Price undercutting has been determined by comparing the landed values of dumped imports from the subject country over the entire period of investigation with the net sales realization of the subject goods sold by the domestic industry to see whether the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

45. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price net of all rebates and taxes of the domestic industry, at the same level of trade. The price undercutting of the subject goods from the subject country works out as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed price of imports	Rs/MT	-	37,133	33,827	38,407
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	% Range	-	0-5	10-15	0-10

46. The Authority notes that the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry. Thus imports are undercutting the domestic goods.

b. Price Suppression, Depression effects of dumped imports

47. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred.

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of Sales – Domestic	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	96	101
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	102	108
Landed value	Rs/MT	-	37,133	33,827	38,407
Trend	Indexed	-	100	91	103

48. The Authority notes that the comparison of cost of sales and landed price of imports shows that the landed price of imports in 2016-17 and POI is below the level of cost of production and selling price of the domestic industry for the product concerned. There is absence of depression and suppression effects.

c. Price underselling effect of the dumped imports

49. For examining the underselling effects of the dumped imports, the landed value of imports has been compared with the Non-Injurious Price determined. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The analysis show that during the POI, the landed value of subject imports is higher than non-injurious price of the domestic industry as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	POI*(INR)	POI* (USD)
Landed Price	Per MT	38,407	575.78
Non-Injurious Price (NIP)	Per MT	***	***
Price underselling	Per MT	(***)	(***)
Price underselling	%	(***)	(***)
Price underselling	% Range	(0-5)	(0-5)

H.6 Examination of other injury factors

(i) Actual and potential impact on capacity, production, capacity utilization and sales

50. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

Particulars	*Unit*	*2014-15*	*2015-16*	*2016-17*	*POI*
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	111	111
Production- Sodium Nitrite	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	122	129
Production-Plant (SNI+SNA)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	118	126
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	107	114
Sales Domestic	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	122	130

51. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales volume of the domestic industry has been increasing throughout injury period. In fact, the capacity utilization has been more than optimum.

(ii)Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, returns on capital employed

52. Performance of the domestic industry with respect to the profitability parameters is also improving throughout injury period as evident from the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	98	96	101
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	104	102	108
Profit/ Loss	Rs/MT	(***)	***	***	***
Indexed	Indexed	-100	236.60	232.61	281.83
Profit/ Loss	Rs.Lacs	(***)	***	***	***
Indexed	Indexed	-100	288.56	283.15	366.13
Profit before Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	671	608	814
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	782	816	941
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	608	516	636

(iii) Actual and potential impact on Employment, Wages and Productivity

53. The productivity per employee and productivity per day have consistently been on rise throughout the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	101	101
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	135	137
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	121	128
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	122	129

(iv) Actual and potential impact on Inventories

54. Inventory of the domestic industry is increasing throughout injury period as evident from the table below-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	198	217	385

(v) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

55. The dumping margin of the dumped imports determined for the subject country is significantly above de minimis level as discussed above.

d. Injury Margin

56. The non-injurious price of the subject goods for the domestic industry has been determined as per the principles laid down in Annex-III to the Anti-Dumping Rules for fair comparison with the respective landed value of the imports for determination of injury margin. The injury margins determined are as under:-

Sl. No	Producers	Exporter	NIP USD /MT	Landed Value USD/MT	Injury margin USD/MT	Injury margin %	Injury margin Range
1.	M/s. JSC United Chemical Company Uralchem	M/s. SIA Uralchem Trading. M/s Trigon Gulf FZCO M/s. Cosmoss VU Limited	***	***	(***)	(***)	(0-5)
2.	All other producers	All	***	***	***	***	5-15

57. The essential facts of the investigation gathered by the Designated Authority during the course of the investigations and analyzed by the Authority in the present disclosure statement was disclosed to the interested parties in order to enable these interested parties to offer their comments on these facts.

I. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

58. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

<u>Submissions made by the Domestic Industry</u>

59. The following comments on Disclosure statement have been submitted by domestic industry:

i. Response of JSC Uralchem and its related parties should not be accepted altogether for the purpose of determining normal value as the complete value chain up to Indian customers is not available. Reasons for deviating from established practice are not clear from the disclosure statement.

ii. The non-injurious price determined is too low resulting into negative injury margin. The NIP has been inappropriately reduced by modifying apportionment methodology and excluding a number of elements of expenses. The methodology for determination of NIP has been substantially changed from the previous investigations.

iii. The imports from the subject country have substantially increased in absolute terms and market share of the subject imports in total imports entering India has also shown an increase. Market share in demand has also increased.

iv. Subject imports are entering at low & dumped prices and causing considerable price undercutting.

v. The Authority incorrectly concluded that there is absence of depression and suppression effects; as the landed price of imports in 2016-17 and POI is below the level of cost of production.

vi. The Authority incorrectly determined the NIP as explained above, leading to negative injury margin; as the dumped imports from subject country in fact are coming to India at prices significantly below the non-Injurious price/fair price of the domestic industry, thus resulting in positive and significant price underselling/injury margin.

vii. The market share of Indian industry was constant throughout the injury period even when the demand increased during the same period.

viii. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant.

ix. The domestic industry is facing material injury due to the presence of dumped imports.

x. Regarding the concern of the Authority that the performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, market share, capacity, profit, cash profit and return on capital employed and Net sales realization is more than the Non-Injurious price of the domestic industry; it is submitted that domestic industry is recovering from the past ill effects of dumping from the European Union and China, and therefore it was natural that the performance of the domestic industry would show improvement.

xi. The trends in some parameters may be positive; but the domestic industry is still earning sub-optimal level of return on investment ("ROI") in the POI.

xii. As regard the argument on capacity expansion during 2015-16, it is submitted that increase in capacity was taking into consideration the increase in demand in India.

xiii. The Authority seems to have proceeded on a premise that the sole cause of the injury to the domestic industry must be dumped imports and seems to overlook the legal requirements that dumping need be only one of the causes of injury to the domestic industry.

xiv. Anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US$/kg.

Submissions made by Other Interested Parties

60. The following comments on Disclosure statement have been submitted by other interested parties:

The proposed determination of individual margins for JSC Uralchem and its exporters is judicious, fair and as per the law and we request the Authority to adopt the same approach in the final finding also. It is submitted that the export channel through M/s Sultera should be accepted by the Authority since purchase and selling price of PUC by Sultera can be derived from the responses filed by SIA Uralchem and Cosmoss, HongKong respectively. Further, we undertake that no further export of PUC by M/s SIA Uralchem , Latvia will ever be routed through Sultera , UAE in future.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

61. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

i. The Authority notes that the methodology adopted for NIP determination in this investigation is the same as the one adopted consistently in previous investigations. It is noted that in the manufacture of PUC, significant proportion of costs consists of raw material costs and

utilities, which have been allowed on actuals as claimed by the DI. It may be added that the DI has number of products under anti-dumping investigation for last several years. It was noticed during the anti-dumping investigation on imports of Sodium Nitrite, originating in or exported from European Union vide notification No. 15/1009/2012-DGAD dated 12.05.2014 that the company had adopted different methods of allocation for two different joint products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. Since, the domestic industry had not adopted the consistent method as required under Annexure-III of AD Rules, a uniform methodology has been applied for allocation of others costs since then in respect of both products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. There has been no change in methodology thereafter.

ii. The Authority notes that despite positive price undercutting the phenomena of price depression and suppression are absent.

iii. The injury margin is negative even after taking into account the exports made through M/s. Sultera and Cosmoss channel, wherein the landed value is the lowest out of all export channels. Exclusion of exports through Sultera will only make injury margin even more negative.

J. Conclusion on injury

62. Considering various parameters relating to material injury provided under the Anti-Dumping Rules, the Authority concludes as follows:

i. The import from the subject country is not having any injurious effect on the domestic industry in terms of price parameters since their net sales realization is more than the non-injurious price of the domestic industry.

ii. The performance of the domestic industry has improved in terms of production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, profit, cash profit and return on capital employed.

iii. There is no price underselling effect and the injury margin is negative.

Based on the above, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury during the POI in terms of the relevant provisions under the Anti-Dumping Rules.

a. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

63. As the Authority has concluded that the domestic industry is not suffering any material injury during the POI, the Authority is not undertaking causal link and non-attribution analysis.

L. RECOMMENDATION

64. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury in terms of the provisions enshrined under the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject country and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14(b) of the Anti-Dumping Rules.

M. FURTHER PROCEDURE

65. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.08 10:34:13 +05'30'